न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला- झांसी।

नियमित जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- - 376/ 2022

श्रीमती मालती देवी **बनाम** **खचोरे आदि।**

धारा- 406, 504,506 भां. दं. सं.
थाना- गरौठा, जिला- झांसी।
मु०संख्या 132/ 2018

दिनांक- 05. 07. 2023-

प्रार्थी/ अभियुक्त **खचोरे उर्फ हरीदास पुत्र कथूले** की ओर से मुकदमा संख्या- 132/ 2018, अन्तर्गत धारा- 406, 504,506 भां. दं. सं. थाना- गरौठा, जिला- झांसी में नियमित जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में आत्मसमर्पण कर न्यायालय में उपस्थित है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अन्तरिम जमानत दी गयी थी। प्रार्थी / अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/ अभियुक्त हर तारीख पर न्यायालय में उपस्थित रहा है। प्रार्थी का काई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थी/ अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 406, 504,506 भा०दं०सं० के तहत तलब किया गया, जहां अभियुक्त तलब होने के उपरान्त न्यायालय उपस्थित आया। प्रस्तुत प्रकरण में बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० के अवलोकन से यह विदित है कि परिवादिया ने अभियुक्त पर मुवलिग 16,800/ - रूपये खर्च किये, जिसके उपरान्त अभियुक्त द्वारा बैनामा अभियुक्ता संख्या 2 के पक्ष में कर दिया गया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रपत्रों के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टया परिवादिया एवं प्रार्थी / अभियुक्त के मध्य हुये मौखिक इकरारनामा की अवहेलना कर अपने स्वयं की भूमि का बैनामा अभियुक्ता संख्या 2 के पक्ष में किया गया। पत्रावली पर इस स्तर पर कोई भी ऐसे साक्ष्य उपस्थित नहीं है, जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि अभियुक्त द्वारा प्रार्थिया के पक्ष में कोई इकरारनामा किया हो, परन्तु उक्त बिन्दु साक्ष्य के स्तर पर देखा जाना संभव है। पत्रावली पर साक्ष्य आना अभी शेष है, वहीं प्रपत्रों के अवलोकन से यह तथ्य ज्ञात होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों में अधिकतम सजा 7 वर्ष है।

उभय पक्ष के तर्कों व उपलब्ध प्रपत्रों के सम्यक परिशीलन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिया मुकदमा को नुकसान पहुचाने, गाली गलौच कर साशय अपमानित करने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के आरोप अभिकथित किये गये है।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त के दोषी पाये जाने की स्थिति में सजा की गंभीरता बहुत ज्यादा नहीं है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण श्रेणी " अ " (**Satendra Kumar Antil Vs Central Bureau Of Investigation and Anr. Misc. App. 1849/ 2021**) के तहत आती प्रतीत होती है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में सह-अभियुक्त की जमानत पूर्व में माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। वहीं अभियुक्त के मेडीकल रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुये एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुये जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था Satendra Kumar Antil Vs Central Bureau Of Investigation and Anr. Misc. App. 1849/ 2021** में दिये गये प्रावधानों के अधीन आता प्रतीत होता है व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **Arnesh Kumar vs State of Bihar and Anr on 2 Julym 2014 Criminal Appeal No 1277 of 2014 Secial Leave Petition (CRL) No 9127 of 2013** के अनुक्रम में नियमित जमानत दिया जाना न्यायोचित होगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

नियमित जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या- 132/ 2018, अन्तर्गत धारा- 406,504,506 भां. दं. सं., थाना- गरौठा, जिला- झांसी में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/ अभियुक्त **खचोरे उर्फ हरीदास पुत्र कथूले** द्वारा **नवीन बन्धपत्र** एवं पूर्व में प्रस्तुत **प्रतिभू व** निम्न शर्तों की अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर नियमित जमानत पर रिहा किया जावें-

1- प्रार्थी/ अभियुक्त इस न्यायालय के बिना पूर्व अनुमति के इस देश को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा।

2- प्रार्थी/ अभियुक्त न तो अभियोजन के गवाहान को डरायेगा व धमकायेगा व ना ही अभियोजन साक्ष्य के साथ किसी किस्म की भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

3- प्रार्थी/ अभियुक्त के स्वयं के घर के पते एवं उसके जमानतियों के घर के पतों में परिवर्तन होने पर उक्त परिवर्तन की सूचना प्रार्थी/ अभियुक्त तुरन्त न्यायालय में पेश करेगा।

4- प्रार्थी/ अभियुक्त विचारण न्यायालय में अपने केस के शीघ्र निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय का पूरा सहयोग करेगा, और न्यायालय की कार्यवाही में किसी किस्म कोई अवरोध/ व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और ना ही उसको दी गई जमानत का किसी भी तरीके से दुरूपयोग करेगा।

5- प्रार्थी/ अभियुक्त पीडित के साथ कोई अपराध नहीं कारित करेगा और न ही पीडिता से मिलेगा।

6- प्रार्थी/ अभियुक्त यदि पत्रावली मीडिएशन के लिये संदर्भित होती है तो प्रार्थिया को धमकायेगा नहीं व न ही किसी और माध्यम से किसी साक्षियों के साथ सम्पर्क करेगा।

7- प्रार्थी/ अभियुक्त इस केस में जब न्यायालय में अभियोजन के गवाहान साक्ष्य/ 313 हेतु उपस्थित होगा तब किसी किस्म की व किसी आधार पर कोई स्थगन प्रार्थना पत्र नहीं देगा।

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।